

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक:-वि०प्रा०(II) छात्र-01/2018

/पटना, दिनांक:-

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह मा०प्रा०से०
सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

राज्य के प्रत्येक जिला में संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटैक्निक/महिला पॉलिटैक्निक संस्थानों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागान्तर्गत बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, 42 राजकीय पॉलिटैक्निक एवं 02 महिला पॉलिटैक्निक संस्थान (सूची संलग्न) संचालित है एवं लगभग सभी संस्थानों में चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है।

प्रत्येक अभियंत्रण महाविद्यालयों में लगभग 1000-1200 छात्र/छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था है। साथ ही छात्र/छात्राओं के आवासन हेतु छात्रावास/महिला छात्रावास की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही संस्थान में शिक्षकगण एवं कर्मियों के भी आवासन की सुविधा संस्थान परिसर में है। इसी प्रकार प्रत्येक पॉलिटैक्निक संस्थान में भी लगभग 800-900 छात्र-छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था है एवं छात्रावास भी संचालित है। इन संस्थानों में भी पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए परिसर में आवास की व्यवस्था है।

कई संस्थान जिला मुख्यालय से काफी दूर अवस्थित है एवं संस्थान के नजदीक में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित नहीं रहने की स्थिति में संस्थान के छात्र/छात्राओं को आकस्मिक एवं सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने में कठिनाई होती है।

अतः अनुरोध है कि इन संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक दिन चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग के स्तर से सभी सिविल सर्जन को निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही छात्र/छात्राओं को स्वास्थ्य संस्थान के स्तर पर उपलब्ध औषधि एवं जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी निदेश देने की कृपा की जाय

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-


(लोकेश कुमार सिंह)

ज्ञापांक:-वि०प्रा०(II) छात्र-01/2018 2248 /पटना, दिनांक:- 26/3/22

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सभी जिलाधिकारी, बिहार को इस आशय से प्रेषित है कि अपने स्तर से जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को विभागान्तर्गत प्रत्येक संस्थान में चिकित्सको को सप्ताह में कम से कम एक दिन भ्रमण कर इलाज /चिकित्सीय परामर्श प्रदान करने का आदेश देने की कृपा की जाय।
2. सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक /महिला पॉलिटेक्निक संस्थान अपने स्तर से भी जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से सम्पर्क कर अपने संस्थान के चिकित्सा कक्ष को व्यवस्थित करते हुए सुचारु रूप से चिकित्सा सुविधा का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(लोकेश कुमार सिंह)



कार्यालय, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प०
चम्पारण, बेतिया

ज्ञापांक/बेतिया,

दिनांक

प्रेषित,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्रा० स्वा० केन्द्र, चनपटिया।

विषय :- राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, प० चम्पारण, कुमारबाग में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, प० चम्पारण के पत्रांक 140 दिनांक 14.02.23 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, प० चम्पारण, कुमारबाग में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः निदेशित है कि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, प० चम्पारण, कुमारबाग में सप्ताह में एक दिन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक मेडिकल टीम को सभी आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों सहित भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनु० :- यथोक्त।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मु० चि० पदा०,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक/बेतिया

दिनांक

प्रतिलिपि : प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, प० चम्पारण, कुमारबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

असैनिक शल्य चि० सह मु० चिकित्सा पदा०
प० चम्पारण, बेतिया







